

उत्तराखण्ड शासन
कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

संशोधित अधिसूचना

04 अप्रैल, 2025 ई०

संख्या-38/नि०अनु०-भू०उप०परि०(आर)/बी-002/2024-अधिसूचना संख्या 4680/नि०अनु०-भू०उप०परि०(आर)/बी-002/2024 दिनांक 13 मार्च 2024 के द्वारा खसरा नम्बर 925 मि, 926 क मि, 982 मि, 986 ग, 987 मि, 988 मि, 989 मि एवं 990 मि कुल रकबा 1.779 है० मौजा पौन्धा तहसील विकासनगर, देहरादून अधिसूचित की गयी थी।

उक्त खसरा नम्बरों, रकबा आदि की विज्ञप्ति जारी की गयी थी परंतु त्रुटिवश जारी विज्ञप्ति में खसरा नम्बर 927 क मि सम्मिलित नहीं था जबकि इस खसरा नम्बर का रकबा 0.2410 है० समाहित था।

अतः उक्त खसरा नम्बरों के अंतर्गत ही खसरा नम्बर 927 क मि की आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से प्रकाशित 02 दैनिक समाचार पत्रों दैनिक भास्कर एवं राष्ट्रीय सहारा में दिनांक 01.03.2025 को संशोधित विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी थी। आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित 30 दिन की अवधि के भीतर प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

अतएव, अब उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 संशोधन) अधिनियम 2013 की धारा 13(2) की अधीन शासनादेश संख्या 1311/V-2/21-10(आ०)/2020 दिनांक 26.7.2021 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए देहरादून महायोजना-2025 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

क्रम सं०	स्थल/ग्राम का नाम	भू-उपयोग हेतु प्रस्तावित खसरा नम्बर	महायोजना में वर्तमान भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग
1	मौजा पौन्धा, तहसील विकासनगर जिला देहरादून।	खसरा नम्बर 927 क मि	कृषि	आवासीय

बंशीधर तिवारी,

उपाध्यक्ष।

टिप्पणी-राजपत्र, दिनांक 19-04-2025, भाग 1-क में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]

पी०एस०यू० (आर०ई०) 11 वि०प्राधि०/241-06-06-2025-25 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)